R.M.M. Law College Saharanpur
Nareshij Anand
LL.B Part IInd
Paper 1st Family law (Muslim Law)

वक्फ सार्वजनिक या पब्लिक वक्फ

मस्जिद - फतवा-ए-आलमगीरी के अनुसार, "इमारत बनने योग्य किसी खाली भूमि पर जब उसका स्वामी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को यह निर्देश दे कि वे लोग वहाँ नमाज पढ़ने के लिए एकत्र हों तो यह स्थान मस्जिद बन जाता है, यदि नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता सदैव के लिए दी गई हो या बिना शर्त के इस आशय से दी गई हो कि यह सदैव ऐसी रहे तो ऐसी सम्पत्ति स्वामि के मरणोपरांत उसके उत्तराधिकारियों में न्यस्त नहीं होगी किन्तु जब यह आज्ञा एक दिन, एक मास या एक वर्ष के लिए प्रदान की गई हो तो ऐसा स्थान मस्जिद नहीं कहलाएगा और स्वामी की मृत्यु पर सम्पत्ति उसके अपने उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी।

जब कोई मस्जिद खण्डहर हो गई हो और उसमें नमाज न पढ़ी जाती हो और न ही लोगों को इस कार्य के लिए उसकी आवश्यकता हो तो भी यह सम्पत्ति वक्फकर्ता या उसके उत्तराधिकारी के पास वापस नहीं आ सकती है और न ही इस सम्पत्ति को बेचा जा सकता है।"

मस्जिद स्थापना के लिए केवल यह

Scanned with CamScanner

पर्याप्त नहीं है कि इसका निर्माण किया गया है-
(1) वक्फकर्ता की अन्य सम्पत्तियों से इस इमारत को पृथक कर दिया गया हो।
(2) मस्जिद में जाने का रास्ता आम रास्ता बनाया गया हो;
(3) या तो उसमें सार्वजनिक नमाज पढ़ी गई हो या इसका कब्जा मुतवल्ली को दे दिया गया हो।

कोई भी मस्जिद अमीर और गरीब सभी के लिए खुली समझी जाती है, और विशेषकर उस परिक्षेत्र के लोगों के लिए नहीं किन्तु हितकर है। मस्जिद का उपयोग किसी सम्प्रदाय या वर्ग के लिए या किसी परिक्षेत्र के लोगों के लिए सीमित नहीं किया जा सकता है। मस्जिद शिया मस्जिद नहीं होती और नहीं कोई सुन्नी मस्जिद होती है। कोई भी मस्जिद एक फिरके या स्कूल के लिए नहीं बनायी जाती है। फतवा-ए-आलमगीरी में वर्णित है कि यदि मस्जिद किसी सम्प्रदाय व परिक्षेत्र विशेष के व्यक्तियों के प्रयोग के लिए समर्पित की जाय तो ऐसा आरक्षण शून्य होगा किन्तु समर्पण मान्य और प्रत्येक मुसलमान उसमें नमाज पढ़ सकेगा।

किसी वर्तमान मस्जिद के पक्ष में उसके नवल रखरखाव या मरम्मत हेतु किसी सम्पत्ति का वक्फ इस शर्त पर किया जा सकता है कि जब मस्जिद को इस सम्पत्ति की जरूरत न हो तो इस सम्पत्ति का उपयोग गरीबों और जरूरतमंद व्यक्तियों पर व्यय किया जा सके।

मस्जिद की भूमि या सम्पत्ति से जो आय हो उसका उपयोग केवल गरीबों के

लिए दी गई है न कि खास वर्गों के लिए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद के संदर्भ में मोहम्मद वसी बनाम बच्चन साहिब के वाद में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किये —

(i) मस्जिद बनाने का मुख्य कारण यह है कि उसमें किसी भी सम्प्रदाय का मुसलमान जाकर प्रार्थना कर सकता है।

(ii) किसी भी फिरके को सामूहिक प्रार्थना को अपने ढंग से करवाने का दावा करने का अधिकार नहीं है।

(iii) यदि मस्जिद में सामूहिक प्रार्थना विशेष ढंग से होती हो तो अन्य सम्प्रदाय का मुसलमान समूह के पीछे जाकर दूसरों की प्रार्थना में बिना बाधा डाले प्रार्थना कर सकता है।

(iv) यदि मस्जिद में नमाज किसी विशेष विचारधारा के अनुसार होती है फिर भी मस्जिद किसी विशेष सम्प्रदाय के मुसलमानों के लिए आरक्षित नहीं की जा सकती है। कोई भी मुसलमान मस्जिद में जाकर अपने सम्प्रदाय के अनुसार इबादत कर सकता है। वह ऐसा तब तक कर सकता है जब तक कि उसके द्वारा उपासना करने से मस्जिद की शांति भंग नहीं हो जाती है।

(v) यदि किसी मुसलमान को मस्जिद में प्रार्थना करने से रोका या वंचित किया जाय तो उसे उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है।

इस वाद में उत्तर प्रदेश के

सीतापुर जिले के मऊनाथ, भंजन एक हनफी मुसलमानों द्वारा निर्मित एक मस्जिद थी। इस मस्जिद में जो नमाज आदि पढ़ी जाती थी वह भी हनफी विचारधारा के अनुसार ही था। कुछ समय बाद शियालोग भी अपने विचारधारा के अनुसार धार्मिक क्रिया कलाप करने लगे। हनफियों ने शियाओं द्वारा किए गये धार्मिक अनुष्ठान पर आपत्ति उठाई। उन्होंने वाद दायर कर शियाओं द्वारा इस प्रकार की धर्म-क्रियाओं को रोकने का प्रयत्न किया। निचली अदालत द्वारा वाद खारिज कर दिया गया। पुनः इस वाद को तीन न्यायाधीशों के बेंच को सौंप दिया। पुनः पूर्ण बेंच ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। पूर्ण पीठ ने कहा कि -

"भारत जैसे देश में धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता है, "जियो और जीने दो" का सिद्धांत इस समय तक लागू होता है जब तक किसी जन साधारण के सदाचार या शिष्टाचार के सिद्धांतों के विपरीत नहीं है। एक फिरके के सदस्यों को दूसरे फिरके के सदस्यों को मस्जिद में धर्म क्रियाओं को करने से केवल इसलिए रोकने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह उनकी धार्मिक भावनाओं के विपरीत है।

नमाज अदा करने के लिए खुदा के मालिक का मकबूल मस्जिद भी हो सकते हैं जिसपर सभी व्यक्तियों द्वारा ही नमाज अदा की जा सकती है।